



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018
Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018

Website : www.rsmssb.rajasthan.gov.in

Tel. : 0141-2722520

क्रमांक:-प.3(26)RSSB/स्टोर/Electric-Carpenter-Sanitary/2024-25/107

दिनांक:- 25/03/2025

खुली निविदा सूचना (2024-25/43)

बोर्ड कार्यालय में विद्युत/कारपेन्टर/सैनेट्री/की वार्षिक मरम्मत/रखरखाव के लिए (दर सविदा) पर अनुबंध किये जाने हेतु वार्षिक अनुमानित लागत राशि रु. 09.00 लाख तक निविदा की शर्तों एवं स्पेशिफिकेशन के अनुसार फर्म/निर्माताओं/सप्लायर्स/प्राधिकृत व्यवहारियों/प्राधिकृत सेवा केन्द्रों/सेवा प्रदाताओं/सदभाविक व्यापारियों से निर्धारित प्रपत्र पर सीलबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। इस सामग्री की निविदा डाउनलोड, निविदा खोलने की तिथि, निविदा शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि जमा कराने की तिथि एवं निविदा की शर्तें इत्यादि सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं विभागीय वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है तथा निविदा प्रपत्र वेबसाइट से निर्धारित अवधि में डाउनलोड किये जा सकते हैं।

(डॉ. बी.सी. बघाल)

सचिव

क्रमांक:-प.3(03)RSSB/स्टोर/Electric-Carpenter-Sanitary/2024-25/108-III

दिनांक:- 25/03/2025

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर को निविदा सूचना की दस प्रतियां एवं सी. डी. में सलग्न कर भिजवाई जा रही है इसको नियमानुसार एक क्षेत्रिय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम जगह में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति की प्रति के साथ सूचित करावें।
2. प्रभारी अधिकारी आई.टी. को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा प्रपत्र को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
3. नोडल अधिकारी, बोर्ड SPPP को भेजकर लेख है कि <http://Sppp.rajasthan.gov.in> वेबसाइट पर अपलोड करावें
4. कैशियर/प्राप्ति लिपिक/नोटिस बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।

सचिव

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
 Designation : Secretary
 Date: 2025.03.24 11:20:35 IST
 Reason: Approved



Address : State Institute of Agriculture Management premises, Durgapura, Jaipur - 302018.



कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018

Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018

Website : www.rsmssb.rajasthan.gov.in Tel. : 0141-2722520

निविदा प्रपत्र नं. : खुली निविदा सूचना (2024-25/43)
निविदा की अनुमानित राशि : 09.00 लाख
निविदा प्रपत्र का मूल्य : 500/-
बोली प्रतिभूति राशि : 18,000/-

बिड प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि : 25/03/2025
बिड जमा कराने की अंतिम तिथि : 01/04/2025
अपराह्न : 1.00 बजे तक
बिड खोलने की तिथि : 01/04/2025
अपराह्न : 03.00 बजे

तकनीकी निविदा

Electrical, Carpentry and Sanitary Items की रखरखाव/मरम्मत के लिये (द्वि संविदा) हेतु खुली निविदा सूचना

- बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम :
दूरभाष/मोबाईल नंबर एवं डाक का पता :
- बैंक खाता संख्या : बैंक का नाम :
शाखा का नाम : IFSC Code :
- किसको संबोधित की गई : **सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर**
- संदर्भ – निविदा सूचना संख्या : 2024-25/ दिनांक :
- बिड शुल्क की राशि 500/- (रु. पाँच सौ मात्र) डी.डी./बैंकर्स चैक संख्या के द्वारा जमा करा दी गयी है/संलग्न है।
- हम **राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर** द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना 2024-25/43 दिनांक 25/03/2025 में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।)
- वित्तीय निविदा में उद्धृत की गयी दरें अनुबंध की तिथि से एक वर्ष तक के लिये विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर RTPP नियम 2013 के नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
- बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या जो बैंक का नाम पर आहरित किया गया है। रु. 18,000/- के लिये बिड प्रतिभूति राशि के पेटे **सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर** के नाम देय संलग्न किया जाता है।

निविदा को स्वीकार किए जाने हेतु आवश्यक शर्तें:-

- GST नियमों के अन्तर्गत पंजीयन सं. एवं पेन नंबर की प्रति संलग्न होने चाहिये।
- निविदादाता/फर्म द्वारा गत 02 वर्षों में केन्द्र अथवा राज्य के राजकीय विभाग/उपक्रम/स्वायत्त संस्थाएं/परियोजनाएं/बोर्ड/समिति/आयोग/शिक्षण संस्था/बैंकों में कम से कम दो वर्ष का **Electrical, Carpentry and Sanitary Items की रखरखाव/मरम्मत** अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इनमें किसी एक वर्ष में इस कार्य का 4.50 लाख का अनुभव प्रमाण-पत्र होना चाहिए। (अनुभव प्रमाण अथवा कार्यादेश की स्थिति कार्य पूर्णता पत्र छायाप्रति संलग्न करें।)
- फर्म का गत दो वर्षों का टर्न ओवर जो कि प्रतिवर्ष 4.50 लाख से कम न हो की छायाप्रति, टर्न ओवर के प्रमाण स्वरूप आयकर रिटर्न की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करे।
- बिड शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि का डी.डी., कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र, टर्न ओवर के प्रमाण स्वरूप आयकर रिटर्न की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं होने पर बिड पर विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदा प्रपत्र भरा हुआ तथा संबंधित सभी परिशिष्ट व दस्तावेज स्वयं द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।
- बिडदाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करें। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती है तो बिड को अस्वीकृत करने/शर्त को अमान्य करने का अधिकार बोर्ड का होगा।

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand

Badhal

Designation: Secretary

Date: 2025.03.24 11:21:54 IST

Reason: Approved



- 1.2. मरम्मत/संधारण हेतु अस्थाई/स्थाई प्रकृति की वांछित सामग्री सेवादाता को बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- 1.3. नियमित रूप से सैनेट्री/कारपेन्टर/विद्युत से संबंधित समस्त कार्य की देखभाल करनी होगी तथा नियमित रूप से समस्त सैनेट्री/कारपेन्टर/विद्युत कार्य के सही होने का प्रमाण पत्र केयर टेकर मुख्यालय एवं संबंधित शाखा प्रभारी से प्रमाणित प्रति प्राप्त कर बिल के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 1.4. बोर्ड कार्यालय में आवश्यकता पड़ने पर विभाग द्वारा बुलाये जाने (दुरभाष/पत्र द्वारा) पर अविलम्ब उपस्थित होकर अधिकतम 4 घंटे में शिकायत का निराकरण करेंगे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आपसे (अनुबन्धकर्ता फर्म से) प्रतिदिन के हिसाब से रुपये 200/- (अक्षरे रुपये दौ सौ मात्र) का जुर्माना वसूल किया जावेगा।
- 1.5. बिल के साथ कार्य संतुष्टि प्रमाण पत्र संबंधित शाखा से एवं स्टोर प्रभारी/केयर टेकर से प्राप्त कर संलग्न करना होगा। जिसके उपरान्त ही भुगतान विभाग द्वारा पूर्ण सन्तुष्टि पश्चात प्रतिमाह अवधि समाप्त होने पर बिल कोष कार्यालय से पारित होने पर नियमानुसार किया जावेगा। भुगतान करने में होने वाले व्यय की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। किसी प्रकार की कोई अग्रिम राशि नहीं दी जायेगी। नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौति की जायेगी एवं जी.एस.टी. भुगतान का प्रमाण पत्र अगले बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा, उसके अभाव में बिल कोषालय भिजवाया जाना संभव नहीं होगा।
- 1.6. यदि निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्य सन्तोषजनक न कर पाये तो विभागीय अधिकारी को यह हक होगा कि वह निविदादाता को सूचना दिये बिना निविदाकार के हिसाब में और उसकी जोखिम पर कार्य करावें। निविदाकार का विफल रहने के कारण होने वाली हानि या नुकसान का उत्तरदायित्व होगा। परन्तु निविदाकार को इसके फलस्वरूप किये गये कार्य से होने वाले लाभ का अधिकार नहीं होगा। निविदाकार से ऐसी हानि या नुकसान की वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- 1.7. निविदादाता द्वारा बोर्ड कार्यालय में किये गये कार्य के पश्चात मासिक बिल आगामी 10 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जायेंगे।
- 1.8. विधि मान्यता-निविदायें, उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।
- 1.9. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिये यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की शर्तों, विनिर्देशों, आकार, मेक, रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
- 1.10. निविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी साखान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप-भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा। ऐसा किया जाने पर संबंधित निविदादाता की निविदा/बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा सशर्त निविदाएँ/निरस्त कर दी जायेगी।

1. खुली प्रतियोगी बोली, द्वि-प्रक्रमी बोली, दर संविदा, इलैक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम के मामले में बोली प्रतिभूति बोली के लिये प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। निष्ठापना के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिये प्रदत्त मात्रा का 0.50% होगी और लाभ उद्योगों से निष्ठापना उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त विभाग बोर्ड के संश्लेषित है, यह बोली के मूल्य का 1.00 प्रतिशत होगी। राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करेगी लगाने वाले

Digitally signed by Bhagwan Pradip Singh, DN: cn=Bhagwan Pradip Singh, o=, ou=, email=pradip.singh@delhi.gov.in, c=IN

- प्रत्येक बोली लगाने वाले से, यदि छूट प्राप्त नहीं हो तो बोली आमंत्रित करने वाली सूचना में यथा-विनिर्दिष्ट बोली प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जायेगी।
2. बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।
 3. उपापन संस्था के पास अन्य बोलियों में प्रतीक्षित विनिश्चय के संबंध में रखी हुई बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति, नयी बोली के लिये बोली प्रतिभूति में समायोजित नहीं की जायेगी। तथापि, मूल रूप से जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है।
 4. बोली प्रतिभूति बैंक चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी या (E-Grass) के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढ़ायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिये।
 5. बोली दस्तावेजों में यह नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति का निर्गामी और बोली प्रतिभूति की पुष्टि करने वाला, यदि कोई हो, के साथ ही बोली प्रतिभूति का प्रारूप और निबंधन उपापन संस्था को स्वीकार्य होना चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की दशा में, बोली दस्तावेजों में यह भी नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति भारत में किसी निर्गामी द्वारा जारी की जायेगी।
 6. यदि अपेक्षित हो तो प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने से पूर्व, बोली लगाने वाला बोली प्रतिभूति के प्रस्थापित निर्गामी या प्रस्थापित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता को पुष्टि करने के लिये उपापन संस्था से अनुरोध कर सकेगा। उपापन संस्था ऐसे किसी अनुरोध का तत्परता से प्रत्युत्तर देगी।
 7. बोली प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारंटी की संबंधित जारी करने वाले बैंक से पुष्टि करायी जायेगी। तथापि, प्रस्तावित निर्गामी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर बोली प्रतिभूति को अस्वीकार करने से उपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गामी या, यथास्थिति, पुष्टि करने वाला दिवालिया हो गया है या अन्यथा उधार के लिये पात्र नहीं रहा गया है।
 8. असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।
 9. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृत(Forfeited) कर दी जायेगी, अर्थात् :
 - i. जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है:
 - ii. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है:
 - iii. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है:
 - iv. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है:
 - v. यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।
 10. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति का रकम पूर्ण रकम के रूप में लौटाया जा सकता है, यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।
 11. उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चात् प्रतिभूति के तत्परता से लौटा देगी, अर्थात्:-

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand

Designation : Secretary

Date: 2025.03.24 11:21:34 IST

Reason: Approved

- बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के अवसान पर,
- सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिये करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर,
- उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर, या
- बोली प्रस्तुत करने के लिये अन्तिम समय-सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर, जब तक कि बोली दस्तावेजों में यह अनुबंध नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया गया है।

1. (1) **करार एवं कार्य संपादन प्रतिभूति(Agreement and Performance Security) :-**

- सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा निविदा में अंकित अनुमानित राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।
- कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हों और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।
- राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिये अनुमानित राशि की 1 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समझ लंबित है, के मामले में यह प्रदाय अनुमानित राशि का 2 प्रतिशत होगी।
- कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी:
 - किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,
 - राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिये राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।
 - किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिये नियम 42 में वर्णित के समान होंगी।
 - किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

कार्य सम्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुये बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी।

(3) **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :-** प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :-

- जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तिपूर्व समझौता नोटिस दिया जायेंगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(4) भुगतान करने पर किये गये प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) का भुगतान करने वाले को करके देना होगा।

Signature valid

Digitally signed by Bhaskar Chandra Badhai
Designation: Secretary
Date: 2025.03.24 11:21:34 IST
Reason: Approved

2. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाईसेंस प्राप्त करने के लिये अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिये।
3. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा, जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
4. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये, किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सबके लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।
5. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:-
 1. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।
 2. यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष
 3. एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नंबर।
 4. कंपनी के मामले में कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
6. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation) आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिये एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिटेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।
7. इस कार्य से संबंधित सफल निविदाकार को गोपनीयता बनाये रखनी होगी।
8. समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।
9. बिड़ संबंधित किसी भी निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एवं द्वितीय अपील प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को की जा सकेगी।
10. निविदा की शर्तों एवं RTTP Act 2012 एवं Rules 2013 में कही विरोधाभास की स्थिति होने पर RTTP Act 2012 एवं Rules 2013 ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे।
11. संलग्नक 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' एवं फॉर्मेट बी इस निविदा का भाग होगा। संलग्नक 'बी' के अनुसार निविदादाता द्वारा घोषणा पर हस्ताक्षर मय सील करने होंगे।
12. मैंने सभी शर्तों को अध्ययन कर लिया है एवं स्वीकार्य है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

मोबाईल नम्बर:-

पत्र व्यवहार का पता:-

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.03.24 11:21:34 IST
Reason: Approved

Annexure A: Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, bid rigging or anticompetitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity

Conflict of Interest

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including buy not limited to:

- a. have controlling partners/shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them;
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid;
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Signature valid

Digitally signed by Bhagat Chander
Radha
Designation : Secretary
Date: 2025.03.24 11:21:34 IST
Reason: Approved

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted tofor procurement of.....

In response to their Notice Inviting Bids No.....Dated.....I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012 that;

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act. Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.03.24 11:21:34 IST
Reason: Approved

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is _____

The designation and address of the Second Appellate Authority is _____

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or Prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely: -

- (a) Determination
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or by courier.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand and five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand Badhal

Designation: Secretary

Date: 2025.03.24 21:21:34 IST

Reason: Approved

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall, -

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand Badhal

Designation : Secretary

Date: 2025.03.24 11:21:34 IST

Reason: Approved

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement
Act, 2012**

Appeal No.of.....

Before the.....(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against

And name and designation of the officer/authority

Statement of a decision, action or omission of

The procuring Entity in contravention to the provisions

Of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant Proposes to be representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with appeal:

6. Ground of appeal:

.....
.....
.....(Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....
.....
.....

Place.....

Date.....

Appellant's Signature

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal

Designation: Secretary

Date: 2025.03.24 11:21:34 IST

Reason: Approved

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(ii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last order. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand
Bhadral
Designation: Secretary
Date: 2025.03.24 11:21:34 IST
Reason: Approved

supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.03.24 11:21:34 IST
Reason: Approved

फर्म का नाम :

(कंपनी के लैटर हैड पर प्रस्तुत किया जावे)

सचिव,
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड,
दुर्गापुरा, जयपुर

वित्तीय निविदा का दर प्रपत्र

निविदा सूचना संख्या के क्रम में हमारी दरें निम्नानुसार हैं:-

1. वार्षिक अनुबंध के तहत किया जाने वाला कार्य :-

क्र. सं.	विवरण	Service Rate per Month	GST	Total RS. per Month
1.	बोर्ड कार्यालय में सैनेट्री/कारपेन्टर/विद्युत संबंधी सेवाएं देने के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए (AMC) किये जाने हेतु।			
कुल राशि (अंकों में) रूपयें :				
कुल राशि (अंकों में) रूपयें :				

2. मरम्मत/संधारण हेतु वांछित स्थाई/अस्थायी प्रकृति की सामग्री :-

Sr. No.	Name of Parts/Service	Rate Per Inch/Piece/ Feet/ Ltr.	Rate (Inclusive all taxes with GST)
1.	2 Pin		
2.	3 Pin Top		
3.	3/4 PIPE		
4.	Agal Kundi		
5.	Aldrop		
6.	Aluminium channel		
7.	Angle Wall		
8.	Ball		

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation: Secretary
Date: 2025.03.24 11:21:34 IST
Reason: Approved

9.	Band		
10.	Bearing		
11.	Bearings		
12.	Belt		
13.	Blade		
14.	Blade Holder		
15.	Blower Motor Winding		
16.	Brass MABT		
17.	Bulb 15 Watt		
18.	Bush Plate		
19.	C PVC 1/1/4		
20.	Capacitor		
21.	Casing Patti		
22.	Channel		
23.	Choke 12w		
24.	Choke 18w		
25.	Choke 36w		
26.	Clip		
27.	Condenser Fan		
28.	Condenser cooler		
29.	Cooler Frame		
30.	Cooler Grass Ped		
31.	Cooler Honey Ped		
32.	Cooler Pad		
33.	Cooler Pump		
34.	Cooler Regulator		
35.	Cooler Wings		
36.	CP Nipple		
37.	CP Null		

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation: Secretary
Date: 2025.03.24 11:21:34 IST
Reason: Approved

38.	CPVC Pipe 1		
39.	Colour Paint		
40.	Data		
41.	Door Chitakani		
42.	Door Latch (Kunda)		
43.	Door Closer		
44.	Door Handle		
45.	Door Lock		
46.	Door Stopper		
47.	Drawer Channel		
48.	Ducting Canvas		
49.	Ducting Motor		
50.	Ducting Paid		
51.	Door Lock		
52.	Elbow 1 "		
53.	Elbow GI		
54.	FABT 1"		
55.	Fan Regulator		
56.	Fevicoal Per Gram		
57.	Flange GI		
58.	Floor drain Grating (Jali) Round Shape (Rate Per inch)		
59.	Floor drain Grating (Jali) Suare Shape (Rate Per inch)		
60.	Flush Plate		
61.	Flushing Systan		
62.	Foot Value Set		
63.	Football Set		
64.	G I Nipple 1/1/4		
65.	Getty		

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.03.24 11:21:34 IST
Reason: Approved

66.	Glass Door & Windo		
67.	Godrej Lock		
68.	Greece		
69.	Health Faucet		
70.	Hings		
71.	Holder		
72.	Hub		
73.	Iron & Wood Chair Repair		
74.	L Blade/Patti		
75.	Led 18W 4 Pin		
76.	Led 20w		
77.	Led 30w		
78.	Led 50w		
79.	Led Blub 30 W		
80.	Led Flud Light 100W		
81.	Led light		
82.	Led Panel 36 W 2*2		
83.	Led Vance Ballast 36w		
84.	Modular Sheet All Type		
85.	M Seal		
86.	MABT 1"		
87.	MCB (32amp)		
88.	MCB Box		
89.	MCB Box (63amp)		
90.	Modelling Cheap		
91.	Modular Box		
92.	Motor Winding Cooler		
93.	Motor Winding Ceiling Fan		
94.	Motor Winding Exhust Fan		

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation: Secretary
Date: 2025.03.24 11:21:34 IST
Reason: Approved

95.	Motor Winding Farata Fan		
96.	Nozzle GI		
97.	Nut Bolt		
98.	Oil		
99.	OS Ram DD/E 18w		
100.	Piston Rod		
101.	PL Light		
102.	PL Light 36w		
103.	PL Tubelight 36w		
104.	Ply		
105.	Pole MCB (63amp)		
106.	PVC Box (12x10)		
107.	PVC Box (5x3)		
108.	PVC Box(9x3)		
109.	Pvc connection pipe		
110.	PVC Pipe		
111.	Paint Brush		
112.	Razmal Per Mtr.		
113.	Rotator/Gear Box		
114.	Rotor		
115.	Sadel		
116.	Sanitary T		
117.	Screw		
118.	Shaft		
119.	Silicone sealant		

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation: Secretary
Date: 2025.03.24 11:21:34 IST
Reason: Approved

120.	Sink coupler and jali		
121.	Soap Stand		
122.	Socket (16amp)		
123.	Socket (6amp)		
124.	Socket All Type		
125.	Socket GI		
126.	Solwent 115 ML		
127.	Spin Set		
128.	Spindle		
129.	Stand Assembling		
130.	Stator Table		
131.	Stator Winding		
132.	Stikar		
133.	Switch (16amp)		
134.	Switch (6amp)		
135.	Switch Plate		
136.	Syphon Set		
137.	Tap		
138.	Tape		
139.	Tape Nal		
140.	Tarpin		
141.	Toilet Paper Stand		
142.	Towel Ring		
143.	Towel Stand		

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation: Secretary
Date: 2025.03.24 21:21:34 IST
Reason: Approved

144.	Tube light 36w		
145.	Tube light Led		
146.	Union		
147.	Wall Coke		
148.	Wall Fan Wings		
149. F	Waste Pipe		
150.	Wire (1.5mm) per feet		
151.	Wire (1mm) per feet		
152. T	Wire (2.5mm) per feet		
153.	Wire (2mm) per feet		
154.	Window Glass		

नोट:-उक्तानुसार बिन्दु स. 01 के तहत सैनेट्री/कारपेन्टर/विद्युत संबंधी सेवायें रखरखाव एवं मरम्मत के लिए वार्षिक अनुबंध में किये जाने वाले कार्य का भुगतान अनुपातिक रूप से मासिक किया जावेगा एवं बिन्दु संख्या 02 (सामान, कलपूर्जे गैस इत्यादि का व्यय) का भुगतान आवश्यकतानुसार पार्टस/गैस/कलपूर्जे लगाये जाने की स्थिति में ही अनुमोदित दर से किया जावेगा। अनुमोदित दर के अतिरिक्त अन्य पार्टस की आवश्यकता पढ़ने पर न्यूनतम बाजार दर पर भुगतान किया जावेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय सील

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.03.24 11:21:34 IST
Reason: Approved